संख्या-533/2017/196/22-2-2017-17(204)/2017

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 11 जुलाई, 2017***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जयकरन खंगार पुत्र श्री राम रतन निवासी जनपद-कानपुर देहात की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-44244-359/प्रोबेशन-3/2016(एम-17-11-2016) दिनांक-16-12-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जयकरन खंगार पुत्र श्री राम रतन, निवासी-ग्राम-कुवंरपुर, थाना-गजनेर, जनपद-कानपुर देहात वर्तमान पता ग्राम-नौरंगा, थाना-घाटमपुर, जिला- कानपुर देहात का रहने वाला है। बन्दी ने दिनांक 16/17.05.1998 को पत्नी राजकुमारी (सहअभियुक्त) के साथ मिलकर अपनी बहू से गलत सम्बन्ध बनाने से मना करने तथा शिकायत करने पर बबूल के चैला से पीटकर श्रीमती ओमप्रभा की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-347/1998 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 अष्टम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कानपुर देहात के आदेश दिनांक 30.04.2002 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 11.11.2016 तक 18 वर्ष 04 माह 07 दिन की अपरिहार सजा तथा 23 वर्ष 02 माह 11 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है लेकिन प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि बन्दी ने दिनांक 16/17.05.1998 को पत्नी राजकुमारी के साथ मिलकर अपनी बहू से गलत सम्बन्ध बनाने से मना करने तथा शिकायत करने पर बबूल के चैला से पीटकर श्रीमती ओमप्रभा की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। पुलिस अधीक्षक द्वारा 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध किये जाने की सम्भावना होने, अपराध करने में अशक्त न होने, आर्थिक स्थिति कमजोर होने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, एवं जघन्यता पुलिस अधीक्षक द्वारा समयपूर्व रिहाई का किये गये विरोध

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी जयकरन खंगार पुत्र श्री राम रतन को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी जयकरन खंगार (बन्दी संख्या-15336) पुत्र श्री राम रतन निवासी जनपद-कानपुर देहात के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-533/2017/196(1)/22-2-2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर देहात।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।

3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्या-533/2017/196/22-2-2017-17(204)/2017

दिनांक 11 जुलाई, 2017 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जयकरन खंगार पुत्र श्री राम रतन, निवासी-ग्राम-कुवंरपुर, थाना-गजनेर, जनपद-कानपुर देहात वर्तमान पता ग्राम-नौरंगा, थाना-घाटमपुर, जिला- कानपुर देहात का रहने वाला है। बन्दी ने दिनांक 16/17.05.1998 को पत्नी राजकुमारी (सहअभियुक्त) के साथ मिलकर अपनी बहू से गलत सम्बन्ध बनाने से मना करने तथा शिकायत करने पर बबूल के चैला से पीटकर श्रीमती ओमप्रभा की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-347/1998 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 अष्टम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कानपुर देहात के आदेश दिनांक 30.04.2002 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 11.11.2016 तक 18 वर्ष 04 माह 07 दिन की अपरिहार सजा तथा 23 वर्ष 02 माह 11 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है लेकिन प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि बन्दी ने दिनांक 16/17.05.1998 को पत्नी राजकुमारी के साथ मिलकर अपनी बहू से गलत सम्बन्ध बनाने से मना करने तथा शिकायत करने पर बबूल के चैला से पीटकर श्रीमती ओमप्रभा की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। पुलिस अधीक्षक द्वारा 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध किये जाने की सम्भावना होने, अपराध करने में अशक्त न होने, आर्थिक स्थिति कमजोर होने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, एवं जघन्यता पुलिस अधीक्षक द्वारा समयपूर्व रिहाई का किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी जयकरन खंगार पुत्र श्री राम रतन को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in